NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 10-03-2025

विषय सूची

उच्च न्यायपालिका में लैंगिक अंतर
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत की विरासत
विदेश मंत्री का यूनाइटेड किंगडम दौरा
औपचारिक मान्यता के लिए प्लेटफॉर्म श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा
मसाला बाजार में भारत की हिस्सेदारी
भारत में कपास आयात में उछाल
भारत में भंडारणों की बढ़ती माँग

संक्षिप्त समाचार

यूनिसेफ का रिश्तेदारी और समुदाय-आधारित देखभाल कार्यक्रम (KCBCP)
हंटावायरस
अलगाववाद (Isolationism)
रबर बागानों का भू-मानचित्रण
हाइड्रोजन-संचालित फ्यूल सेल
स्मार्ट प्रोटीन
माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वाँ बाघ अभ्यारण्य
अभ्यास खंजर-XII

उच्च न्यायपालिका में लैंगिक अंतर

संदर्भ

- विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, न्यायपालिका अभी भी पिछड़ी हुई है, जो व्यापक सामाजिक असमानताओं और प्रणालीगत बाधाओं को दर्शाती है।

लिंग प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति

- "न्यायपालिका की स्थिति" रिपोर्ट (2023) के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 14% है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 9.3% (सर्वोच्च न्यायालय के 34 न्यायाधीशों में से केवल 4 महिलाएँ हैं)।
  - यह कुछ राज्यों में अधिक स्पष्ट है, जहाँ कुछ उच्च न्यायालयों में या तो कोई महिला न्यायाधीश नहीं हैं या केवल एक हैं।
- यह उच्च न्यायालयों में असमान है, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में या तो कोई महिला न्यायाधीश नहीं हैं या केवल एक महिला न्यायाधीश हैं।

न्यायपालिका में महिलाओं पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण

- **कुल प्रतिनिधित्व:** औसतन, विश्व के न्यायिक अधिकारियों में महिलाओं की संख्या 25% से कुछ अधिक है।
  - हालाँकि, यह आँकड़ा क्षेत्र और देश के हिसाब से काफ़ी अलग-अलग है। कुछ क्षेत्रों में, न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या 10% से भी कम है।
- **OECD देशों में प्रगति:** कई OECD देशों में, पेशेवर न्यायाधीशों में महिलाओं की संख्या 54% से ज़्यादा है।
  - यह आंशिक रूप से हाल के दशकों में कानूनी पेशे और न्यायपालिका में प्रवेश करने वाली महिलाओं की बढ़ती संख्या के कारण है।
- विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देशों ने महिला न्यायाधीशों को बढ़ावा देने में प्रगति की है, लेकिन अंतर अभी भी बना हुआ है, विशेषतः उच्चतम स्तरों पर।

न्यायपालिका में लैंगिक विविधता क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **विचारों की विविधता सुनिश्चित करना:** महिला न्यायाधीश विविध दृष्टिकोण लेकर आती हैं जो न्यायिक निर्णय लेने को समृद्ध बनाते हैं।
- **लिंग-संवेदनशील निर्णयों को बढ़ावा देना:** यौन हिंसा, कार्यस्थल उत्पीड़न और पारिवारिक कानून से संबंधित मामलों में बेंच पर अधिक महिलाओं के होने से लाभ होता है।
- **न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ाना:** अधिक प्रतिनिधित्व महिला वादियों के बीच न्यायिक प्रणाली में विश्वास को बढ़ावा देता है।

उच्च न्यायपालिका में लैंगिक अंतर को बढ़ाने वाले कारक

- **कॉलेजियम प्रणाली और पूर्वाग्रह:** भारत में न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया एक कॉलेजियम प्रणाली का अनुसरण करती है, जो विशिष्ट सामाजिक और व्यावसायिक हलकों से उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती है, जो प्रायः पुरुष-प्रधान होते हैं।
  - महिला न्यायाधीशों के पास आवश्यक योग्यता होने के बावजूद, अंतर्निहित पूर्वाग्रहों और संस्थागत समर्थन की कमी के कारण उन्हें अनदेखा किया जाता है।
- **प्रणालीगत असमानता:** यद्यपि कई महिलाएँ कानूनी पेशे में प्रवेश करती हैं, कार्यस्थल पर भेदभाव, मार्गदर्शन की कमी और कैरियर की प्रगति में पूर्वाग्रहों के कारण अधिकार के पदों पर कम ही पहुँच पाती हैं।
  - सामाजिक अपेक्षाओं के कारण चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं, जो पारिवारिक जिम्मेदारियों का भार महिलाओं पर असमान रूप से डालती हैं।

- **संरचनात्मक समर्थन की कमी:** लचीले कार्य घंटों और सुरक्षा उपायों जैसी लिंग-अनुकूल नीतियों की अनुपस्थिति महिलाओं के लिए लंबे कानूनी करियर को बनाए रखना मुश्किल बनाती है।
- **सीमित रोल मॉडल और प्रतिनिधित्व:** उच्च न्यायिक पदों पर कम महिलाओं के साथ, युवा महिला वकीलों के पास रोल मॉडल की कमी है, जिससे उनके लिए उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति की दिशा में एक मार्ग की कल्पना करना और उसका अनुसरण करना मुश्किल हो जाता है।

लिंग भेद को समाप्त करने के लिए सिफारिशें

- **न्यायिक नियुक्ति सुधार:** कॉलेजियम प्रणाली को लिंग-संवेदनशील नीतियों को अपनाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महिला न्यायाधीशों को नियुक्तियों के लिए उचित विचार मिले।
  - उच्च न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए अधिक महिला उम्मीदवारों की सक्रिय रूप से अनुशंसा करनी चाहिए।
- **मार्गदर्शन और नेतृत्व विकास:** महिला कानूनी पेशेवरों को न्यायिक करियर में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए।
  - वरिष्ठ न्यायाधीशों को संस्थागत लैंगिक समानता का समर्थन करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
- **कार्यस्थल नीति में परिवर्तन:** परिवार के अनुकूल कार्यस्थल नीतियाँ, जैसे लचीले कार्य घंटे और बेहतर मातृत्व अवकाश प्रावधान, प्रारंभ किए जाने चाहिए।
  - न्यायिक अधिकारियों के लिए लैंगिक-संवेदनशीलता प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए।
- **मुकदमेबाजी में महिलाओं को प्रोत्साहित करना:** अधिक महिलाओं को मुकदमेबाजी करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जो न्यायिक पदोन्नति का एक प्राथमिक मार्ग है।
  - सरकार उच्च न्यायिक पदों पर कार्य करने वाली महिला अधिवक्ताओं के लिए प्रोत्साहन और फैलोशिप प्रारंभ कर सकती है।
- **सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भूमिका:** भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को लैंगिक समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।
  - न्यायपालिका को विविधता के मानक निर्धारित करने चाहिए तथा प्रगति पर नज़र रखनी चाहिए।

निष्कर्ष

- उच्च न्यायपालिका में लैंगिक अंतर व्यापक सामाजिक असमानताओं का प्रतिबिंब है, जिसे दूर करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।
- पारदर्शिता, मार्गदर्शन और नीति सुधारों को प्राथमिकता देकर, भारत ऐसी न्यायपालिका की दिशा में कार्य कर सकता है जो न केवल अधिक प्रतिनिधि हो बल्कि अधिक न्यायपूर्ण भी हो।
- संविधान में निहित समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए इस अंतर को समाप्त करना आवश्यक है।

Source: TH

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत की विरासत

संदर्भ

- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेता है तथा अपनी विदेश नीति के प्रमुख स्तंभों के रूप में संवाद, कूटनीति एवं सहयोग पर बल देता है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रमुख तंत्र है।
- यह संघर्ष की रोकथाम, शांति स्थापना, शांति प्रवर्तन और शांति निर्माण सहित संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रयासों के साथ-साथ कार्य करता है।
- संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को ब्लू हेलमेट के नाम से जाना जाता है, इनका नाम संयुक्त राष्ट्र के झंडे के हल्के नीले रंग से लिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का इतिहास

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की शुरुआत 1948 में मध्य पूर्व में युद्ध विराम की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम पर्यवेक्षण संगठन (UNTSO) की स्थापना के साथ हुई थी।
- शीत युद्ध के दौरान, भू-राजनीतिक तनावों के कारण मिशन सीमित रहे, लेकिन 1990 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद शांति स्थापना अभियानों की संख्या और दायरे दोनों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदान

- भारत की संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना भूमिका 1953 में कोरिया ऑपरेशन के साथ प्रारंभ हुई।
- यह वैश्विक शांति और सुरक्षा में एक महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता रहा है, जिसके 2,90,000 से अधिक शांति सैनिक 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सेवा दे रहे हैं।
- वर्तमान में, 5,000 से अधिक भारतीय शांति सैनिक 9 सक्रिय मिशनों में तैनात हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं।
- यह प्रतिबद्धता भारत के **"वसुधैव कुटुम्बकम"** (संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है) के प्राचीन सिद्धांत से उपजी है।

शांति स्थापना में महिलाएँ

- 2022 में, फील्ड मिशनों में सभी वर्दीधारी कर्मियों में महिलाओं की संख्या 7.9% थी - जो 1993 में सिर्फ़ 1% थी।
    - इसमें सैन्य टुकड़ियों में 5.9%, पुलिस बलों में 14.4% और न्याय एवं सुधार भूमिकाओं में 43% शामिल थे। नागरिक कर्मियों में, 30% महिलाएँ थीं।
- अधिक लैंगिक समावेशिता की आवश्यकता को पहचानते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने अपनी समान लैंगिक समानता रणनीति के तहत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसका लक्ष्य 2028 तक सैन्य टुकड़ियों में 15% और पुलिस इकाइयों में 25% महिलाओं को शामिल करना है।
- **भारतीय योगदान:** भारत ने 1960 के दशक में कांगो में महिला चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के साथ महिला शांति स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई।
    - 2007 में, भारत ने लाइबेरिया में पहली बार सभी महिलाओं वाली गठित पुलिस इकाई (FPU) तैनात की।
    - फरवरी 2025 तक, भारत इस विरासत को जारी रखेगा तथा 150 से अधिक महिला शांति सैनिक छह महत्त्वपूर्ण मिशनों में सेवारत होंगी, जिनमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण सूडान, लेबनान, गोलान हाइट्स, पश्चिमी सहारा और अबेई शामिल हैं।

भारत की उपलब्धियाँ

- 2023 में, भारत को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च शांति स्थापना सम्मान, डैग हैमरशॉल्ड मेडल मिला, जो मरणोपरांत शिशुपाल सिंह और सांवला राम विश्नोई एवं नागरिक संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ता शबर ताहिर अली को दिया गया।
- मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय द्वारा "वर्ष 2023 की सैन्य लिंग अधिवक्ता" नामित किया गया है।

- नई दिल्ली में भारतीय सेना द्वारा स्थापित भारत का संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (CUNPK), संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रशिक्षण के लिए राष्ट्र के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है।
- फरवरी 2025 में, CUNPK ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 'वैश्विक दक्षिण से महिला शांति सैनिकों पर सम्मेलन' की मेजबानी की।

निष्कर्ष

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत की भूमिका वैश्विक शांति, सुरक्षा और बहुपक्षवाद के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- कोरियाई युद्ध में अपनी प्रारंभिक भागीदारी से लेकर विश्व भर के संघर्ष क्षेत्रों में अपनी वर्तमान तैनाती तक, भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को लगातार कायम रखा है।

Source: PIB

विदेश मंत्री(EAM) का यूनाइटेड किंगडम (UK) दौरा

संदर्भ

- विदेश मंत्री (EAM) ने यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा की।

परिचय

- दोनों नेताओं ने भारत-ब्रिटेन संबंधों, विशेष रूप से मुक्त व्यापार समझौते (FTA), प्रौद्योगिकी सहयोग, लोगों के बीच आपसी संबंधों और यूक्रेन संघर्ष जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।
- व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सक्रिय करने के लिए रोडमैप 2.0 पर प्रगति की समीक्षा की गई।
- **भारत-ब्रिटेन संबंधों की पुष्टि:** इस यात्रा ने बदलते वैश्विक परिदृश्य में राजनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया।

भारत-ब्रिटेन संबंधों पर संक्षिप्त जानकारी

- **भारत-UK व्यापक रणनीतिक साझेदारी:** 2021 में 10 वर्षीय रोडमैप के साथ उन्नत किया गया।
    - भारत-UK के बीच 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता है।
- **व्यापार संबंध:** भारत UK का 11वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत के लिए UK 14वें स्थान पर है।
    - वर्तमान में, द्विपक्षीय व्यापार GBP 42 बिलियन है, और संतुलन भारत के पक्ष में है, क्योंकि 2023 में भारत के साथ ब्रिटेन का व्यापार घाटा GBP 8.3 बिलियन है।
    - FTA वार्ता 2022 में प्रारंभ हुई, और इसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है।
- **रक्षा और सुरक्षा:** पिछले दशक में भारत के रक्षा आयात में UK का योगदान केवल 3% था।
    - भारत का लक्ष्य रूसी रक्षा आयात से विविधता लाना और स्वदेशी रक्षा उद्योग विकसित करना है।
    - UK प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उन्नत रक्षा क्षमताओं में सहायता कर सकता है।
    - ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (OGEL) (2022) - किसी हिंद-प्रशांत देश के लिए ब्रिटेन का पहला ऐसा लाइसेंस, जो भारत को सैन्य तकनीक निर्यात को आसान बनाएगा।

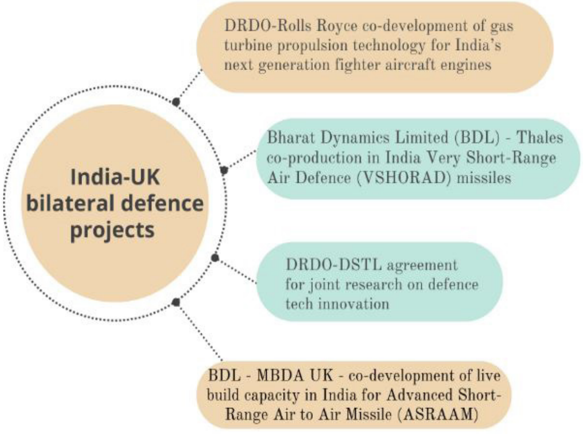

- **संयुक्त अभ्यास:** पूर्व अजय योद्धा, अभ्यास कोंकण, पूर्व कोबरा योद्धा।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) (भारत - सदस्य, UK - संवाद भागीदार)।
    - हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) (UK और भारत दोनों - सदस्य)।

- इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) (भारत और UK समुद्री सुरक्षा स्तंभ का सह-नेतृत्व करते हैं)।
- UK संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सीट के लिए भारत की बोली का समर्थन करता है।
- भारत और UK वैश्विक व्यापार, आर्थिक स्थिरता और जलवायु परिवर्तन पर जी20 के भीतर सहयोग करते हैं।

- **लोगों से लोगों के बीच संबंध:** भारतीय मूल के राजनेताओं का उदय।
  - भारतीय प्रवासी समुदाय को "मॉडल अल्पसंख्यक" माना जाता है, जो कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।
  - ब्रिटिश भारतीय समुदाय: 1.6 मिलियन से अधिक (UK की जनसंख्या का 2.5%)।

चुनौतियाँ:

- **FTA वार्ता में मुख्य मुद्दे:** भारत कुशल पेशेवरों के लिए अधिक गतिशीलता और वीजा पहुँच की माँग करता है।
  - UK ऑटोमोबाइल एवं शराब पर कम टैरिफ और सेवा क्षेत्र के लिए अधिक पहुँच की माँग करता है।
  - UK का कार्बन टैक्स और भारत के FDI प्रतिबंध और विनियामक जटिलताएँ।
- **भू-राजनीतिक मतभेद:** रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत का तटस्थ दृष्टिकोण बनाम रूस के प्रति UK का सख्त विरोध।
- **खालिस्तान और चरमपंथ की चिंताएँ:** 2023 में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले।
- **वीज़ा और आव्रजन नीतियाँ:** भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए कठोर UK वीज़ा नीतियाँ। साथ ही अवैध आव्रजन और वीज़ा अवधि से अधिक समय तक रहने की चिंताएँ।
- **अवैध आव्रजन:** प्रवास समझौते की कमी के कारण 100,000 से अधिक अवैध भारतीय अप्रवासियों का मामला अनसुलझा है।

आगे की राह

- मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में तीव्रता लाना।
- प्रवासन और गतिशीलता पर समझौता।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना।
- रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाना।

Source: PIB

औपचारिक मान्यता के लिए प्लेटफॉर्म श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा

समाचार में

- केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के अंतर्गत औपचारिक मान्यता एवं लाभ तक पहुँच के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने का आग्रह किया है।

परिचय

- भारत अपने विशाल कार्यबल, तीव्र शहरीकरण, स्मार्टफोन की पहुँच और डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण गिग अर्थव्यवस्था क्रांति का साक्षी बन रहा है।
- देश की अर्थव्यवस्था में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के योगदान को स्वीकार करते हुए, केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित प्रावधानों की घोषणा की गई है:
  - ई-श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों का पंजीकरण,
  - पहचान पत्र जारी करना और
  - आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा कवरेज।
- AB-PMJAY भारत में 31,000 से अधिक सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक एवं तृतीयक

NEXT IAS

देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करता है।

गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था क्या है?

- **परिभाषा:** गिग इकॉनमी से तात्पर्य ऐसे श्रम बाजार से है, जिसमें अल्पकालिक, लचीले रोजगार होते हैं, जहाँ श्रमिकों को पारंपरिक पूर्णकालिक रोजगार के बजाय अनुबंध या फ्रीलांस आधार पर कार्य पर रखा जाता है।
- गिग वर्कर कहे जाने वाले ये कर्मचारी बिना किसी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के माँग के अनुसार कार्य (गिग) करते हैं।
  - प्लेटफ़ॉर्म इकॉनमी गिग इकॉनमी का एक उपसमूह है, जहाँ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (वेबसाइट, ज़ोमैटो, ओला आदि जैसे ऐप) श्रमिकों को ग्राहकों या नियोक्ताओं से जोड़ते हैं।
- **अनुमानित वृद्धि:** नीति आयोग ने अनुमान लगाया है कि भारत में गिग इकॉनमी 2024-25 में 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार देगी, जो बाद में 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुँच जाएगी।
- **प्रवृत्ति:** मध्यम-कुशल रोजगार घट रहे हैं, जबकि निम्न और उच्च-कुशल रोजगार बढ़ रहे हैं।

गिग कर्मियों को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

- **नौकरी की सुरक्षा का अभाव:** कोई निश्चित वेतन या दीर्घकालिक अनुबंध नहीं।
- **सीमित सामाजिक सुरक्षा लाभ:** EPFO, ESIC या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं।
  - कोई स्वास्थ्य बीमा, सवेतन अवकाश या सेवानिवृत्ति लाभ नहीं।
- **अनियमित कार्य परिस्थितियाँ:** लंबे घंटे, असंगत वेतन और संभावित शोषण।
- **प्लेटफ़ॉर्म एल्गोरिदम पर निर्भरता:** आय और दृश्यता प्लेटफ़ॉर्म नीतियों पर निर्भर करती है।

गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए सिफ़ारिशें

- **प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:** फंडिंग, कौशल और वित्तीय समावेशन के लिए "प्लेटफ़ॉर्म इंडिया" पहल प्रारंभ करना।
  - स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे व्यवसायों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ना।
- **वित्तीय समावेशन:** गिग वर्कर्स के लिए बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करना।
  - प्रथम बार गिग उद्यमियों के लिए प्राथमिकता ऋण।
- **कौशल विकास:** प्रशिक्षण के लिए सरकार और प्लेटफ़ॉर्म सहयोग।
  - गिग वर्कर्स के लिए कौशल प्रमाणन और कैरियर की प्रगति।
- **सामाजिक सुरक्षा:** स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवरेज, भुगतान की गई बीमारी की छुट्टी।
  - सेवानिवृत्ति योजनाएँ, कम कार्य की अवधि के दौरान आय सहायता।

गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए पहल

- **गिग वर्कर्स के लिए कानूनी ढांचा:** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया:
  - एग्रीगेटर
  - गिग वर्कर
  - प्लेटफ़ॉर्म वर्कर
- प्रथम बार गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा उपायों में शामिल करने के लिए कानूनी प्रावधान पेश किए गए।
- **केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा:** 1 करोड़ से ज़्यादा गिग वर्कर्स को पहचान पत्र, ई-श्रम पंजीकरण और PM जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा कवरेज मिलेगा।

Source: PIB

मसाला बाजार में भारत की हिस्सेदारी

संदर्भ

- विश्व मसाला संगठन (WSO) किसानों को गुणवत्ता नियंत्रण का प्रशिक्षण देकर मसाला खेती में सुरक्षा, गुणवत्ता और स्थिरता बढ़ाने के लिए FPOs (किसान उत्पादक संगठनों) के साथ कार्य कर रहा है।

विश्व मसाला संगठन(WSO)

- यह त्रावणकोर कोचीन साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मसाला उद्योग को **"खाद्य सुरक्षा एवं स्थिरता"** के मुद्दों से निपटने में सुविधा प्रदान करना है।
- इसमें इसके सभी हितधारक शामिल हैं - आम जनता, उद्योग, शिक्षाविद और अंतिम उपयोगकर्ता।

भारत में मसाला बाजार

- भारत को विश्व का **'मसालों का कटोरा'** कहा जाता है। यह कई गुणवत्तापूर्ण, दुर्लभ और औषधीय मसालों का उत्पादन करता है।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है। यह मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और निर्यातक भी है।
- 2024 में 14 बिलियन डॉलर के वैश्विक मसाला बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 0.7% है, जबकि चीन की हिस्सेदारी 12% और अमेरिका की हिस्सेदारी 11% है।
- भारत 4.5 बिलियन डॉलर मूल्य के 1.5 मिलियन टन मसालों का निर्यात करता है, जो 20 बिलियन डॉलर के वैश्विक मसाला बाजार का एक चौथाई हिस्सा है।
- भारत के मसाला निर्यात का केवल 48% मूल्यवर्धित उत्पाद हैं और 2030 तक भारतीय मसाला बोर्ड के 10 बिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मूल्यवर्धित मसालों की हिस्सेदारी 70% तक बढ़नी चाहिए।
- भारत में सबसे बड़े मसाला उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल हैं।

मसाला क्षेत्र में चुनौतियाँ

- **उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** अनियमित वर्षा, सूखा और बढ़ते तापमान से मसाला उत्पादन प्रभावित होता है। भारत का वर्तमान मसाला उत्पादन निर्यात की माँग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
    - उदाहरण: केरल में इलायची की खेती अनियमित मानसून और अत्यधिक गर्मी के कारण प्रभावित हुई है।
- **कीट और रोग:** मसाले फंगल संक्रमण, कीटों और वायरल रोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।
    - **उदाहरण:** कर्नाटक में काली मिर्च की बेलें त्वरित विल्ट रोग से प्रभावित हुई हैं, जिससे उपज कम हो गई है।
- **गुणवत्ता नियंत्रण और मिलावट:** मसालों में मिलावट से निर्यात विश्वसनीयता कम होती है और स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं।
    - **उदाहरण:** हल्दी में मेटानिल येलो (एक विषैला रंग) की मिलावट ने खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- **निर्यात प्रतिबंध और वैश्विक मानक:** यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे देशों द्वारा कीटनाशक अवशेष सीमा (MRLs) को कठोर करने से निर्यात में बाधा आती है।
    - **उदाहरण:** उच्च कीटनाशक अवशेष स्तरों के कारण यूरोपीय संघ को मिर्च के निर्यात को अस्वीकार कर दिया गया।
- **किसानों की कम आय और बाजार में उतार-चढ़ाव:** मूल्य अस्थिरता और बिचौलियों का प्रभुत्व किसानों के मुनाफे को कम करता है।
    - **उदाहरण:** गुजरात में जीरा उत्पादक किसान अधिक आपूर्ति के कारण कीमतों में गिरावट का सामना कर रहे हैं।

सुझाव

- भारत को मसालों के पोषक तत्त्वों और औषधीय गुणों का पता लगाना चाहिए, जिनका उपयोग आयुर्वेद एवं अन्य प्रकार की दवाओं में पहले से ही किया जाता है।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता है, और उत्पादन लागत को कम करने, गुणवत्ता में सुधार करने एवं मूल्यवर्धित मसाला निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

- उच्च उपज देने वाली और जलवायु प्रतिरोधी मसाला किस्मों को विकसित करने की आवश्यकता है, जिस पर ICAR और राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र जैसे संगठन पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

Source: TH

भारत में कपास आयात में उछाल

समाचार में

- हाल के महीनों में भारत के कपास आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, अगस्त 2024 में आयात 104 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया और जनवरी 2025 में बढ़कर 184.64 मिलियन डॉलर हो गया, जबकि जनवरी 2024 में यह 19.62 मिलियन डॉलर था।

उच्च कपास आयात के कारण

Import woes

An increase in the import of cotton in the last two years has brought to fore the urgent need for measures to improve cotton productivity in India

Cotton and raw cotton imports (in $ million)

Month	2023	2024
January	28.99	19.62
February	34.69	31.43
March	55.01	48.8
April	45.3	37.91
May	58.09	43.88
June	95.1	70.22
July	88.72	86.29
August	74.9	104.89
September	39.91	134.2
October	36.68	127.71
November	30.61	170.73
December	29.47	142.89
Month	**2024**	**2025**
January	19.62	184.64

- वैश्विक स्तर पर कपास की कीमतें कम हैं, जिससे आयात अधिक आकर्षक हो गया है।
- भारतीय कपास की कीमतें ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे प्रमुख निर्यातकों की तुलना में अधिक हैं।
    - उदाहरण: भारतीय कपास की कीमत 80-85 सेंट प्रति पाउंड है, जबकि ब्राजील के कपास की कीमत 60-65 सेंट प्रति पाउंड है।
- परिधानों और घरेलू वस्त्रों की निर्यात माँग बढ़ रही है (भारत के 60% से अधिक वस्त्र निर्यात कपास आधारित हैं)।
- अंतरराष्ट्रीय कीमतें कम होने के कारण मिलों ने 11% शुल्क के बावजूद कपास का आयात किया।

कपास की खेती के बारे में मुख्य तथ्य

- **कपास के बारे में:**
    - भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों में से एक, वैश्विक कपास उत्पादन में 25% का योगदान देती है।
    - अपने आर्थिक महत्त्व के कारण इसे **"सफेद सोना"** के रूप में जाना जाता है।
- **विकास की स्थितियाँ::**
    - कपास मुख्य रूप से एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। इसे समान रूप से उच्च तापमान (21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस) की आवश्यकता होती है और यह 50-100 सेमी की औसत वार्षिक वर्षा सीमा के अंदर अच्छी तरह से बढ़ता है।
    - कपास के तहत अधिकांश सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में हैं।
    - **विभिन्न मृदा के प्रकारों में उगता है:** जलोढ़ मृदा (उत्तरी क्षेत्र), काली चिकनी मृदा (मध्य क्षेत्र), मिश्रित काली और लाल मृदा (दक्षिणी क्षेत्र)।
- **भारत का कपास परिदृश्य:**
    - भारत विश्व का एकमात्र देश है जो कपास की सभी चार प्रजातियाँ उगाता है। ये प्रजातियाँ हैं:
        - गोसिपियम आर्बोरियम (एशियाई कपास),
        - गोसिपियम हर्बेशियम (एशियाई कपास),
        - गोसिपियम बारबेडेंस (मिस्र का कपास), और
        - गोसिपियम हिर्सुटम (अमेरिकी अपलैंड कपास)।
    - यह भारत में एक महत्त्वपूर्ण फाइबर एवं नकदी फसल है, जो औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था दोनों में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है।
    - यह सूती कपड़ा उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल प्रदान करता है।

- गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं जो देश में लगभग 65% कपास उत्पादन करते हैं।
- **हाइब्रिड और बीटी कॉटन:**
  - **हाइब्रिड कॉटन:** अलग-अलग आनुवंशिक लक्षणों वाले दो मूल उपभेदों का क्रॉस, जो अक्सर प्राकृतिक क्रॉस-परागण के माध्यम से बनता है।
  - **बीटी कॉटन:** आनुवंशिक रूप से संशोधित, कीट-प्रतिरोधी किस्म जिसे बॉलवर्म से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कपास का महत्त्व

- कपास की फसल का महत्त्व इस प्रकार है:
  - **आर्थिक महत्त्व:** कपास भारत में एक प्रमुख नकदी फसल है, जो लाखों किसानों को आजीविका प्रदान करती है और देश के बड़े कपड़ा उद्योग को सहारा देती है।
  - **वैश्विक स्थिति:** भारत विश्व स्तर पर कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो अंतरराष्ट्रीय कपास बाजार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - **वस्त्र उद्योग का आधार:** कपास कपड़ा उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात आय में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
  - **रोज़गार सृजन:** कपास उद्योग, खेती से लेकर कपड़ा तक, कृषि, विनिर्माण और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर सृजित करता है।
  - **सांस्कृतिक महत्त्व:** कपास का भारत में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व है, जो पारंपरिक कपड़ों एवं शिल्प का केंद्र है।

केंद्रीय बजट

- फरवरी 2025 के केंद्रीय बजट में कपास की उत्पादकता में सुधार लाने और किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए कपास मिशन की शुरुआत की गई।

Source: TH

भारत में भंडारणों की बढ़ती माँग

संदर्भ

- वेयरहाउसिंग, जिसे कभी महज भंडारण कार्य माना जाता था, अब भारत की आपूर्ति शृंखला अवसंरचना का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ बन गया है।

भारत में भण्डारण की माँग को बढ़ाने वाले कारक

- **ई-कॉमर्स बूम:** भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र के 2030 तक 350 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
  - तेज़ और कुशल डिलीवरी की आवश्यकता के लिए उपभोग केंद्रों के नज़दीक विस्तृत भण्डारण नेटवर्क की आवश्यकता होती है।
- **कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स का विकास:** ताज़े भोजन, दवाइयों और टीकों की बढ़ती माँग के कारण तापमान नियंत्रित भण्डारण में निवेश बढ़ा है।
- 'मेक इन इंडिया' और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) जैसी पहलों ने कच्चे माल और तैयार माल को स्टोर करने के लिए भण्डारण की माँग को बढ़ावा दिया है।
- 2026 तक, भारत विश्व भर में भण्डारण ऑटोमेशन सिस्टम के शीर्ष 6 उपयोगकर्त्ताओं में से एक होने की संभावना है, जिसके बाज़ार के वार्षिक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है।
- **थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) सेवाएँ:** 3PL प्रदाताओं के बढ़ने से उच्च दक्षता और बेहतर प्रौद्योगिकी एकीकरण वाले ग्रेड A भण्डार की माँग बढ़ रही है।

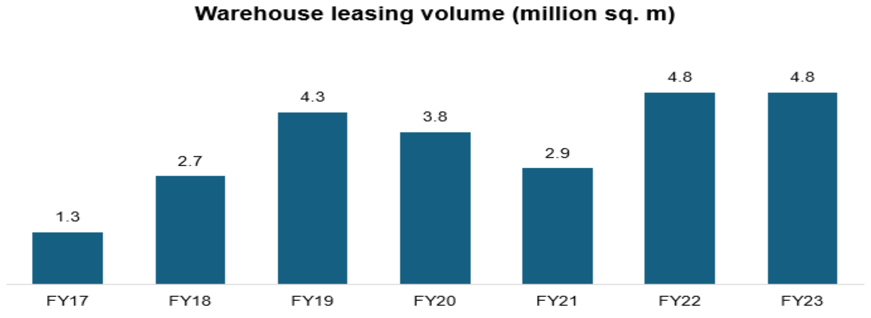

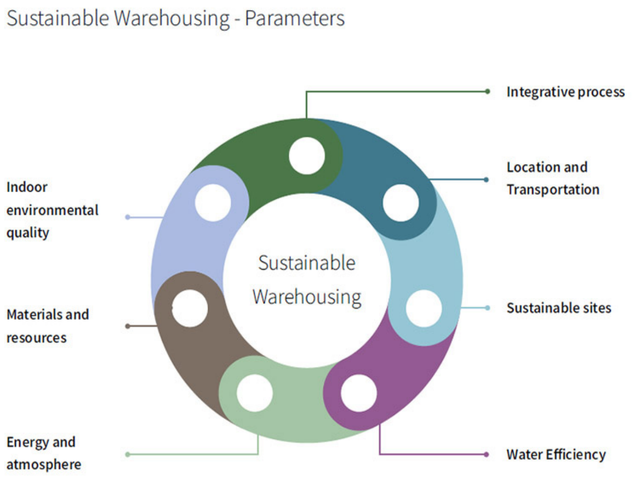

भण्डारण विकास में चुनौतियाँ

- **भूमि अधिग्रहण की उच्च लागत:** प्रमुख लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर में किफायती भूमि की सीमित उपलब्धता विस्तार को प्रभावित करती है।
- **नीतिगत बाधाएँ:** जटिल भूमि उपयोग नियम और असंगत राज्य नीतियाँ सुचारू विकास में बाधा डालती हैं।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त सड़क संपर्क और बिजली आपूर्ति गोदाम की दक्षता को धीमा कर देती है।
- **कौशल की कमी:** भण्डारण प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स में कुशल श्रमिकों की माँग बढ़ रही है, जिसके लिए कार्यबल प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

सरकारी कदम

- राष्ट्रीय रसद नीति (NLP) का लक्ष्य रसद लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 10% तक कम करना है, जिससे लागत दक्षता में सुधार होगा।
- **PM गति शक्ति कार्यक्रम:** यह एकीकृत बुनियादी ढाँचा नियोजन और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पर केंद्रित है।
- **मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLPs) का विकास:** यह रसद दक्षता में सुधार करता है, लागत कम करता है, और विभिन्न परिवहन साधनों (रेल, सड़क, वायु एवं समुद्र) में माल की निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है।

आगे की राह

- **स्मार्ट वेयरहाउस:** AI, IoT एवं रोबोटिक्स को अपनाने से वेयरहाउस की कार्यकुशलता, इन्वेंट्री ट्रैकिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग में सुधार हो रहा है।
- **नियामक सुधार:** भंडारण विकास में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए राज्यवार नीतियों को सुव्यवस्थित करना।
- **स्थायी वेयरहाउसिंग प्रथाएँ:** ऊर्जा-कुशल भंडारण प्रणालियों और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के साथ हरित भंडारण को बढ़ावा देना।

Source: BL

संक्षिप्त समाचार

यूनिसेफ का रिश्तेदारी और समुदाय-आधारित देखभाल कार्यक्रम (KCBCP)

समाचार में

- भारत संस्थागत बाल देखभाल से हटकर परिवार-आधारित समाधानों जैसे कि रिश्तेदारी देखभाल, पालन-पोषण देखभाल और सामुदायिक सहायता की ओर बढ़ रहा है।

परिचय

- मौसमी प्रवास परिवारों को बच्चों को पीछे छोड़ने या उन्हें कार्य पर ले जाने के लिए मजबूर करता है, जिससे शिक्षा बाधित होती है और वे बाल श्रम के संपर्क में आते हैं।
- यूनिसेफ के रिश्तेदारी और समुदाय-आधारित देखभाल कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को संस्थानों के बजाय रिश्तेदारों के पास रखना है, मिशन वात्सल्य जैसी पहलों के साथ, जिसने 2021-22 से गैर-संस्थागत देखभाल को चार गुना बढ़ा दिया है।
- इसका ध्यान परिवार के अलगाव को रोकने, देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने और बच्चों एवं देखभाल करने वालों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चित करने पर है।

Source: BS

हंटावायरस

संदर्भ

- अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार, हंटावायरस वायरस का एक परिवार है जो गंभीर, संभावित रूप से घातक बीमारियों का कारण बन सकता है।

हंटावायरस क्या है?

- वायरस का एक परिवार जो गंभीर श्वसन और गुर्दे की बीमारियों का कारण बनता है।
- यह हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (HPS) का कारण बनता है, जो बुखार, ठंड लगना और मांसपेशियों में दर्द जैसे फ्लू जैसे लक्षणों से प्रारंभ होता है। गंभीर मामलों में, यह श्वसन संकट, फेफड़ों में तरल पदार्थ के निर्माण की ओर जाता है, और घातक हो सकता है।

हंटावायरस कैसे फैलता है?

- कृंतकों (हिरण चूहे, चावल चूहे, सफेद पैर वाले चूहे, कपास चूहे) द्वारा ले जाया जाता है।
- संचरण के तरीके: कृंतक मल या लार से वायरस कणों का साँस द्वारा अंदर जाना।
    - दूषित पदार्थों को छूना और फिर आँख, नाक या मुँह को छूना।

उपचार और रोकथाम

- कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या इलाज नहीं।

Source: TH

अलगाववाद

संदर्भ

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति ने अलगाववाद पर परिचर्चा को फिर से प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि उनका प्रशासन वैश्विक प्रतिबद्धताओं की तुलना में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है।

अलगाववाद क्या है?

- अलगाववाद एक विदेश नीति सिद्धांत है जो अन्य देशों के साथ राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक उलझनों से बचने पर बल देता है।
- यह विचार राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के समय से चला आ रहा है, जिन्होंने "उलझे गठबंधनों" के विरुद्ध चेतावनी दी थी।
    - 19वीं शताब्दी के दौरान, अमेरिका ने पश्चिमी गोलार्ध में अपने प्रभाव का विस्तार करते हुए यूरोपीय संघर्षों से काफी सीमा तक दूरी बनाये रखी।
- अमेरिका ने राष्ट्र संघ को अस्वीकार कर दिया और 1930 के दशक में विदेशी संघर्षों से दूर रहने के लिए तटस्थता अधिनियम पारित किया।
- हाल ही में, "संयम" की अवधारणा ने अलगाववाद और अत्यधिक सैन्य हस्तक्षेप दोनों के विकल्प के रूप में लोकप्रियता हासिल की है।

Source: DTE

रबर बागानों का भू-मानचित्रण

समाचार में

- रबर बोर्ड केरल में रबर बागानों का भू-मानचित्रण प्रारंभ करेगा।

प्राकृतिक रबर

- यह एक बहुमुखी औद्योगिक कच्चा माल है जो अमेज़ॅन नदी बेसिन के मूल निवासी रबर के पेड़ हेविया ब्रासिलिएन्सिस से प्राप्त होता है।
- इसे 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों द्वारा उष्णकटिबंधीय एशिया और अफ्रीका में लाया गया था।
- रबर का पेड़ विभिन्न कृषि-जलवायु और मिट्टी की स्थितियों में पनपता है, जहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेमी होती है।

भू-मानचित्रण पहल

- यह भारतीय सतत प्राकृतिक रबर (iSNR) ढाँचे के अंतर्गत प्राकृतिक रबर को प्रमाणित करने का हिस्सा है, जो यूरोपीय संघ के वनों की कटाई विनियमन (EUDR) के साथ संरेखित है।

- परियोजना भूमि स्वामित्व, क्षेत्र और वृक्षारोपण सीमाओं जैसे विवरणों को रिकॉर्ड करेगी, जो प्रारंभ में केरल के 10 प्रमुख रबर उगाने वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- **भागीदारी:** रबर बोर्ड ने भू-मानचित्रण प्रक्रिया के लिए त्रयंबू टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (TRST01) के साथ भागीदारी की है।

महत्त्व

- इसका उद्देश्य रबर उत्पादकों के लिए बाजार पहुँच और कीमतों में सुधार करना है।
- इसका उद्देश्य रबर के लिए वनों की कटाई से मुक्त आपूर्ति शृंखला स्थापित करना, वैश्विक विपणन क्षमता को बढ़ाना और EUDR के अनुपालन को सुनिश्चित करना है।

यूरोपीय संघ वनों की कटाई विनियमन (EUDR)

- EUDR के अनुसार दिसंबर 2020 के बाद EU बाज़ार में प्रवेश करने वाली सभी वस्तुएँ वनों की कटाई से मुक्त होनी चाहिए।
- iSNR प्रमाणन अनुपालन सुनिश्चित करता है।

भारतीय रबर बोर्ड के बारे में

- रबर अधिनियम, 1947 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- **मुख्यालय:** कोट्टायम, केरल।
- **कार्य:** अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार गतिविधियों के माध्यम से रबर उद्योग का विकास।
  - रबर उत्पादन और व्यापार पर सांख्यिकीय डेटा बनाए रखता है।
  - रबर के विपणन को बढ़ावा देता है और श्रम कल्याण सुनिश्चित करता है।
  - रबर उत्पादकों, निर्माताओं, निर्यातकों और व्यापारियों (रबर बोर्ड लाइसेंस) के लिए लाइसेंस जारी करता है।

Source: TH

हाइड्रोजन-संचालित फ्यूल सेल

संदर्भ

- हाल ही में हाइड्रोजन-चालित फ्यूल सेल को दूरसंचार टावरों के लिए एक विश्वसनीय बैकअप विद्युत समाधान के रूप में सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है।

हाइड्रोजन फ्यूल सेल

- हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से विद्युत् का उत्पादन करते हैं।
- ईंधन सेल में एक एनोड (नकारात्मक इलेक्ट्रोड) और कैथोड (सकारात्मक इलेक्ट्रोड) होता है जो इलेक्ट्रोलाइट के चारों ओर सैंडविच होता है।
  - एनोड में हाइड्रोजन और कैथोड में वायु भरी जाती है।

फ्यूल सेल की कार्यप्रणाली

- एनोड पर, उत्प्रेरक हाइड्रोजन अणुओं को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अलग करता है और दोनों उपपरमाण्विक कण कैथोड तक अलग-अलग रास्ते अपनाते हैं।
- इलेक्ट्रॉन बाहरी सर्किट से गुजरते हैं, जिससे विद्युत प्रवाह बनता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर को विद्युत देने के लिए किया जा सकता है।
- दूसरी ओर, प्रोटॉन इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से कैथोड तक जाते हैं। वहां पहुँचने के बाद, वे ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर जल और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं।

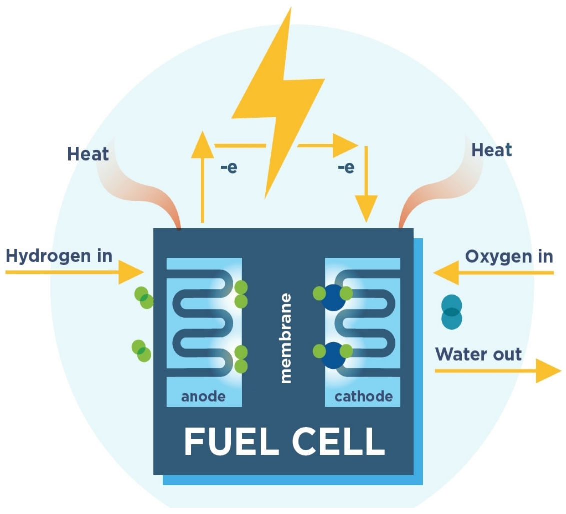

हाइड्रोजन क्या है?

- हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्त्व है जिसका प्रतीक H और परमाणु संख्या 1 है।
- हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है, जो सभी सामान्य पदार्थों का लगभग 75% है।
- यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, गैर विषैली और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है।

Source: AIR

स्मार्ट प्रोटीन

संदर्भ

- BioE3 पहल के अंतर्गत सरकार पारंपरिक प्रोटीन स्रोतों के सतत विकल्प के रूप में स्मार्ट प्रोटीन विकसित करने के लिए अनुसंधान को वित्तपोषित कर रही है।

स्मार्ट प्रोटीन के बारे में

- इन्हें वैकल्पिक प्रोटीन के रूप में भी जाना जाता है।
- ये पारंपरिक प्रोटीन के स्वाद और बनावट की नकल करते हैं।
- इनका उत्पादन निम्न का उपयोग करके किया जा सकता है:
  - किण्वन,
  - पौधे-आधारित, या
  - कोशिका-संस्कृति विधियाँ।

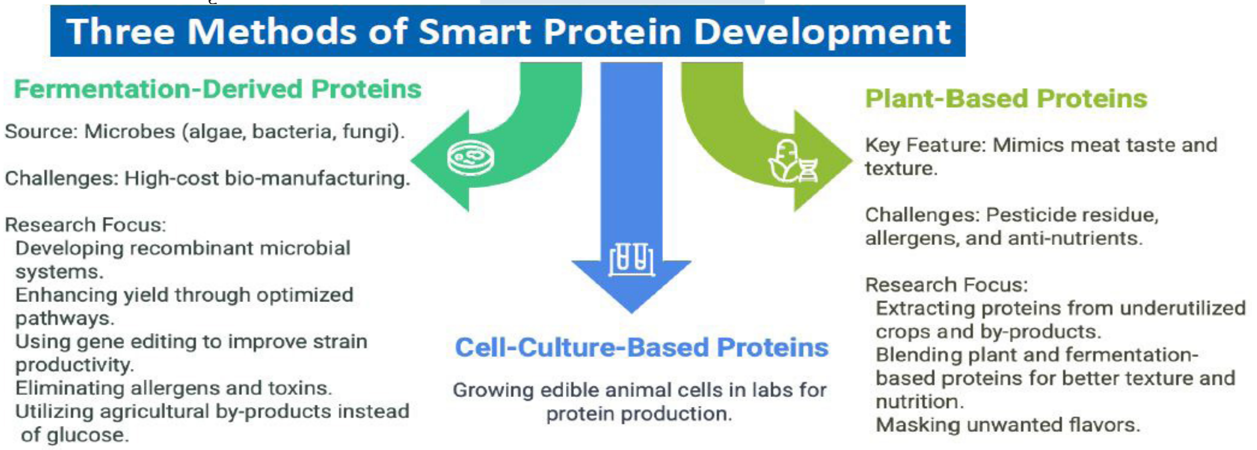

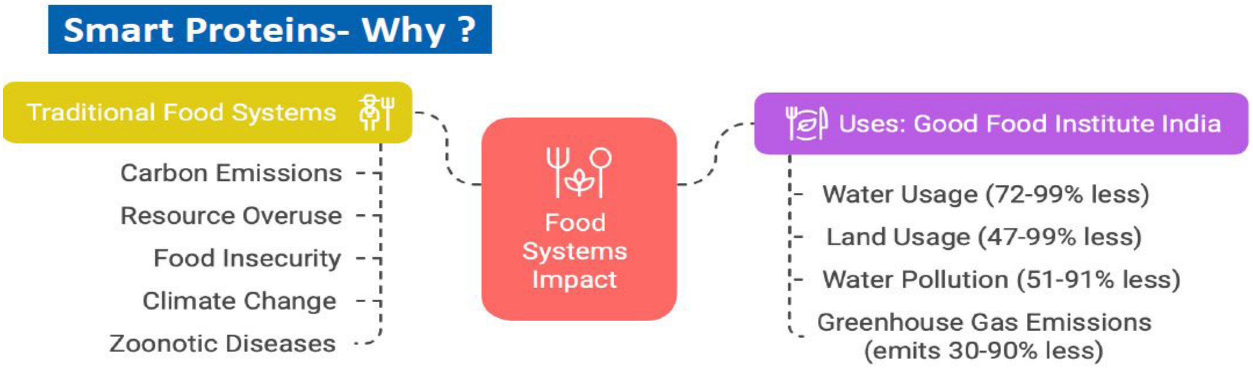

BioE3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) पहल

- **लॉन्च:** 2024
- **द्वारा कार्यान्वित:** जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- **महत्त्व:**
    - बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायो-AI हब और बायोफाउंड्री के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देता है।
    - नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था, पर्यावरण के लिए जीवन शैली और हरित विकास का समर्थन करता है।
    - सतत विकास के लिए सर्कुलर बायोइकोनॉमी को बढ़ावा देता है।

Source: TH

माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वाँ बाघ अभ्यारण्य

संदर्भ

- केंद्र ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वाँ बाघ अभयारण्य घोषित किया।

परिचय

- यह राज्य का नौवाँ बाघ अभ्यारण्य बन गया है, जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक है।

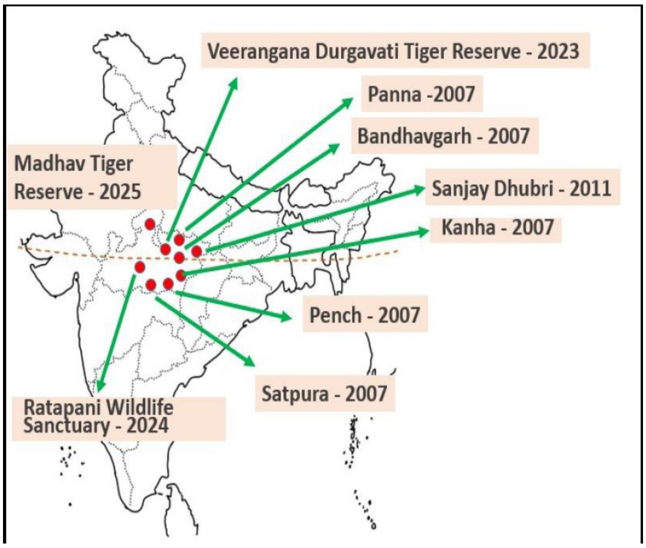

- **अवस्थिति:** यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर के पास स्थित है और ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का एक हिस्सा है।
- **झीलें:** साख्य सागर (रामसर साइट, 2022 में) और माधव सागर।
- **नदियाँ:** मनियर और सिंध नदी।
- **वनस्पति:** उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और शुष्क कांटेदार वन।
- **वनस्पति:** करधई, सलाई, धौरा और खैर।
- **जीव:** नीलगाय, चिंकारा और चौसिंगा और चीतल, सांभर और बार्किंग हिरण सहित हिरण।
- यह मुगल सम्राटों और ग्वालियर के महाराजा का शिकारगाह था।
- इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला।

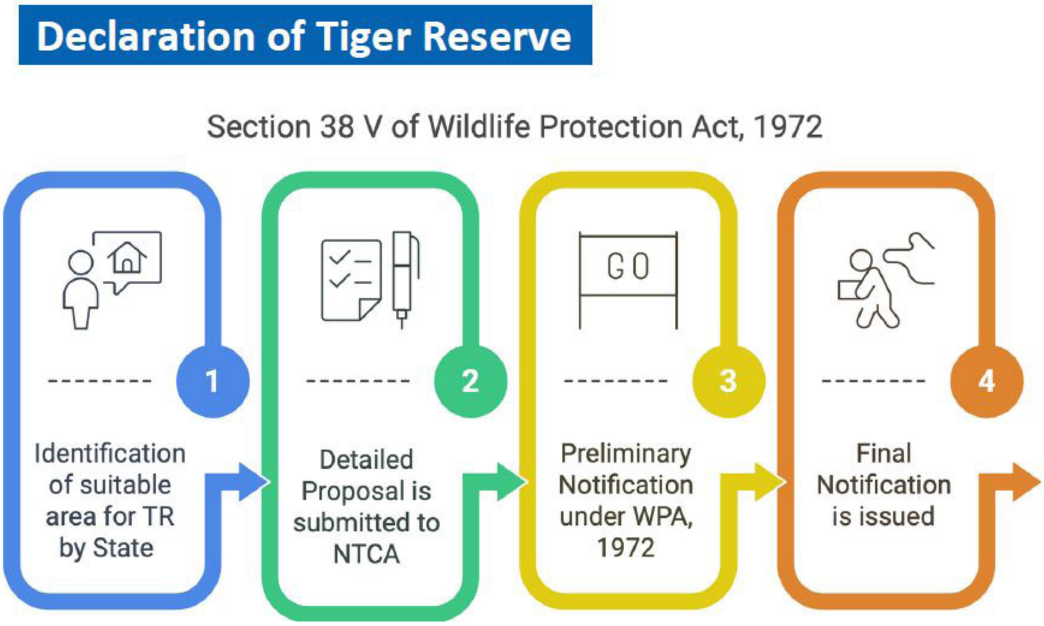

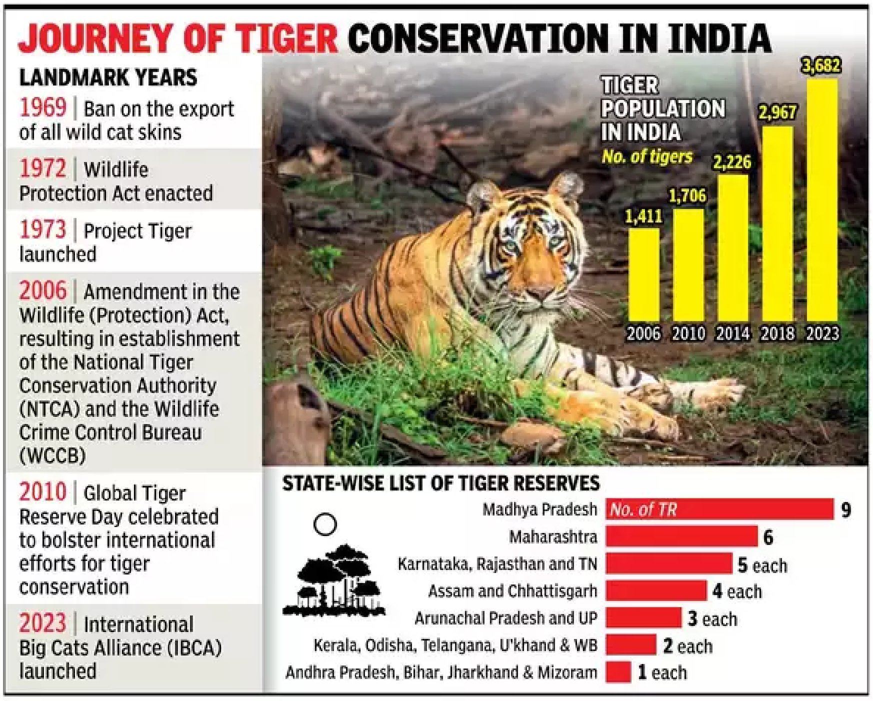

Source: TH

अभ्यास खंजर-XII

समाचार में

- अभ्यास खंजर-XII का 12वाँ संस्करण किर्गिज़स्तान में आयोजित होने वाला है।

परिचय

- यह एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है।
- यह वार्षिक आयोजित किया जाता है और दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
- **उद्देश्य:** शहरी और पहाड़ी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी और विशेष बल संचालन में अनुभवों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना।

Source: PIB